<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर</u>

<u>(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)</u>

<u>क्रमांक / वि.अ. / 951 / 20 / अजमेर (2020 / 00951)</u>

विभागीय अपील द्वारा श्री गजराज डांगी, तत्कालीन पटवारी गनाहेड़ा हाल पटवारी पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर के विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर क्रमांक उखपु / संस्था / 2020 / 66 दिनांक 26–06–2020 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री गजराज डांगी, तत्कालीन पटवारी गनाहेड़ा हाल पटवारी पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–08.02.2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर के आदेश दिनांक 26–06–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम एक ज्ञापन क्रमाक 658 दिनांक 05–2–2020 मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

<u>आरोप संख्या–1</u>

पटवार हलका गनाहेड़ा के रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि आप द्वारा काश्तकारों के प्रस्तुत आवेदन [illegible] गंभीरता से नहीं लिया जाता है जबकि यह आपका प्राथमिक [illegible] नामान्तरकरण संख्या 006, 1020 व 1026 क्रमशः 100, 08 व 35 [illegible] ऑनलाईन भरने के पश्चात भी बिना स्पष्ट कारण बताये लम्बित है जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 के तहत स्पष्ट निर्देश है कि काश्तकार द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के 07 वे दिन तक पटवारी नामान्तरकरण को भरकर भू.अ.निरीक्षक को जांच हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत कर देगा व अग्रिम 10 दिनों में भू.अनिरीक्षक जांच कर पंचायत (30 दिनों तक) अन्यथा तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा भी पत्रांक प.3(116)राज–1/2019 दिनांक 3–1–2020 के तहत दिशा निर्देश जारी हो रखे है। साथ ही उक्त नामान्तरकरण संख्या के बाद के नामान्तरकरण दर्ज कर निर्णित कर ऑनलॉईन किये जा चुके है।

<u>आरोप संख्या–2</u>

तहसील कार्यालय पुष्कर से आपको रसीद बुक संख्या 0006837, 0006839 एवं 0006840 की रसीद बुके जारी होना पाया गया। इनमें से 0006839 व 0006840 की रसीद बुक क्रमश 2016–17 व 2017–18 के लिए जारी की हुई थी। रसीद बुक संख्या 0006839 वर्ष 2016–17 के लिए जारी की हुई, में रसीद क्रमांक 01 से 33 तक एक ही दिनांक 11–3–2019 में जारी की हुई पायी गई। जब रसीद बुक 000839 वर्ष 2016–17 के लिए जारी की गई थी तो आप द्वारा दिनांक 11–3–2019 को एक ही दिन इतनी अधिक रसीदे जीर की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि आपने वर्ष 2017–18 हेतु जारी रसीद बुक में से वर्ष 2019 में रसीदे जारी करने का कृत्य किया गया है। आप द्वारा अपने कर्तव्यों के परे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मनमाने तरीके से कार्य करने का द्योतक है। जो दण्डनीय है।

<u>आरोप संख्या–3</u>

नामान्तरकरण संख्या 896 दिनांक 24–12–2018 को भरा हुआ पाया गया जबकि उसके बाद के नामान्तरकरण संख्या 897 से 1010 तक के नामान्तरकरण दिसम्बर माह से पूर्व ही माह अक्टूबर व नवम्बर 2018 में ही भर दिये जाना पाया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 896 को अत्यधिक विलम्ब से भरा गया है। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं मनमाने तरीके से कार्य करने का द्योतक है, जो दण्डनीय है।

<u>आरोप संख्या–4</u>

पटवार हलका गनाहेडा के रिकार्ड अनुसार आप द्वारा निम्नांकित नामान्तरकरण तहसील पुष्कर में जमा करा[illegible] गया परन्तु तहसील पुष्कर के रेकार्ड अनुसार नामान्तरकरण [illegible] 945, 97[illegible] 982, 985, 996, 1008 एवं 1012 तहसील पुष्कर में जमा होना नहीं [illegible] गये। साथ ही आपके स्वयं के रिकार्ड में उक्त नामान्तरकरण उपलब्ध नहीं [illegible] गये। इस संबंध में आपके द्वारा यदि कोई कार्यवाही अथवा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है इस बाबत कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested

लापरवाही, उदासीनता एवं मनमाने तरीके से कार्य करने का द्योतक है, जो दण्डनीय है।

आरोप संख्या–5

प्रतिलिपि पंजिका के अवलोकन से पाया गया कि नकल देने के पश्चात पूर्ण पंजिका में किसी भी पृष्ठ पर पटवारी हस्ताक्षर व दिनांक का अंकन होना नहीं पाया गया। साथ ही दिनांक 1–10–2019 के पश्चात प्राप्त राशि जमा कराने का अंकन पंजिका में अंकित होना नहीं पाया गया। इतने समय तक प्रतिलिपि शुल्क को जमा नहीं कराना पाया गया है, जबकि उक्त राशि एक माह की अवधि में जमा हो जानी चाहिए। आपका उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता व गबन की श्रेणी में आता है, जो दण्डनीय है।

आरोप संख्या–6

खसरा परिवर्तन (पी–14) में भूमि की किस्म खाता संख्या अंकित नहीं किया जाना पाया गया। उक्त इन्द्राज कब, किस दिनांक को दर्ज किया गया, अंकित नहीं है एवं भू.अ.निरीक्षक के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। साथ ही उक्त रिकार्ड आप द्वारा तहसील में जमा नहीं कराना पाया गया। इस प्रकरण में नियमानुसार धारा 91 की कार्यवाही हुई है या नहीं, स्पष्ट नहीं होता है। साथ ही बेदखली की कार्यवाही हुई है अथवा नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही उदासीनता एवं मनमाने तरीके से कार्य करने का द्योतक है, जो दण्डनीय है।

आरोप संख्या–7

दैनिक डायरी के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा दैनिक डायरी में पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया जा रहा है। दिनांक 13–1–2020 को निरीक्षण किया गया। आपके द्वारा उक्त दिनांक को मुख्यालय पर लघु सिंचाई गणना करना अपनी डायरी में अंकित किया गया किन्तु आप मुख्यालय पर उपस्थित नहीं पाये गये। साथ ही ग्रामीणों द्वारा भी आप अधिकांश समय मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने की शिकायत की गयी जिसका मौका पर्चा बनाया गया। उक्त कृत्य आपके द्वारा राजकार्य के प्रति घोर लापरवाही उदासीनता एवं समय–समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है जो दण्डनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:19:39 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 7–2–2020 को निर्धारित अवधि में लिखित

अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको दिनांक 19–3–2020 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कार्मिक द्वारा अपनी गलती होना स्वीकार किया गया तथा क्षमा हेतु निवेदन किया गया। उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, जिला अजमेर ने अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर के उक्त दण्डादेश दिनांक 26–6–2020 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी पटवारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी पुष्कर जिला अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपचारी पटवारी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर का आदेश दिनांक 26–6–2020 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा ज्ञापन क्रमांक कअ/भू.अ./विजा/20/658 दिनांक 5–2–2020 को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत 07 आरोप पत्र जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा इनका प्रतिउत्तर दिनांक 7–2–2020 को जिला कलक्टर महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 15–6–2020 को व्यक्तिगत सुनवाई की गई तत्पश्चात उनके आदेश दिनांक 17–6–2020 से उक्त विभागीय जांच को (Drop) समाप्त करने के आदेश प्रदान किये गये।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा एक नोटिस क्रमांक 127 दिनांक 23–1–2020 को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दिया गया जिसका प्रतिउत्तर दिनांक 5–3–2020 को प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 19–3–2020 को व्यक्तिगत सुनवाई की। अपीलार्थी द्वारा गलती होना नहीं बताकर शिष्टाचार के नाते सद्य अपीलार्थी द्वारा माफी चाही गई। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा अपने आदेश दिनांक 26–6–2020 से दो वार्षिक वेतन वृद्धिया असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने यह भी कथन किया कि एक बार के निरीक्षण में राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत एक

समान आरोप लगाकर दो चार्जशीट देने से मुझ प्रार्थी के साथ अन्याय हुआ है जबकि उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा नोटिस पर ही वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया जो विधिविरूद्ध है। साथ ही उक्त प्रकरण में समान प्रकृति के आरोप में दिनांक 17–6–2020 को जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा विभागीय कार्यवाही को (DROP) समाप्त कर दिया है जन उच्चाधिकारी द्वारा कार्यवाही (DROP) कर दी तब उपखण्ड अधिकारी द्वारा समान प्रकृति के आरोप में नोटिस के आधार पर दिनांक 26–6–2020 को दण्ड देना विधिविरूद्ध है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर लगाये गये आरोप के संबंध में उपखण्ड अधिकारी पुष्कर से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा पत्र क्रमांक 3907 दिनांक 17–8–2020 से टिप्पणी प्रेषित कर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के कार्यालय के पत्रांक 126 दिनांक 21–1–2020 के द्वारा श्री गजराज डांगी तत्कालीन पटवारी गनाहेड़ा के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही करने बाबत प्रारूप ज्ञापन व प्रारूप आरोप विवरण पत्र जिला कलक्टर अजमेर को प्रेषित किये गये थे। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आदेश क्रमांक 63 दिनांक 17–6–2020 के द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को (DROP) समाप्त किया गया है।

तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा पत्रांक 127 दिनांक 23–1–2020 को श्री गजराज डांगी तत्कालीन पटवारी गनाहेड़ा को सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया। नोटिस का प्रतिउत्तर कार्मिक द्वारा दिनांक 5–3–2020 को प्रस्तुत किया गया। कार्मिक का प्रतिउत्तर प्राप्त होने के पश्चात कार्मिक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 19–3–2020 को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। कार्मिक के प्रतिउत्तर एवं मौखिक कथनों तथा आरोपों का अवलोकन व मनन करने के उपरान्त तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा कार्मिक (क–3)/जांच/2004 दिनांक 18–2–2020 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आदेश क्रमांक 66 दिनांक 26–6–2020 से कार्मिक की दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश स्वविवेक से जारी किया गया है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्रांक 1075 दिनांक 15–7–2020 से उक्त कार्मिक के आदेशों बाबत मार्गदर्शन चाहा जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 3473 दिनांक 20–7–2020 से मार्गदर्शन हेतु जिला कलक्टर अजमेर को निवेदन किया गया उक्त प्रकरण में मार्गदर्शन अभी तक अपेक्षित है। अतः मूल टिप्पणी अवलोकनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा

प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी पटवारी को जारी आरोप पत्र व अपचारी द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि अपीलार्थी को जारी 07 आरोप पत्र जिला कलक्टर अजमेर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा जारी किये गये है। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 17–6–2020 द्वारा अपीलार्थी को लगाये गये आरोपों से मुक्त कर कार्मिक को भविष्य में सतर्कता पूर्वक कार्य करने, उच्चाधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने एवं निर्देशों की पालना करने की मौखिक चेतावनी देते हुए प्रकरण समाप्त करने के आदेश पारित किये है जबकि उक्त समान आरोपों में उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा अपने आदेश दिनांक 26–6–2020 द्वारा अपीलार्थी की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी को एक समान आरोप में जब उच्चाधिकारी जिला कलक्टर अजमेर द्वारा प्रकरण समाप्त कर दिया गया है तो उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को समान आरोप में दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड दिया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतएव श्री गजराज डांगी, तत्कालीन पटवारी गनाहेड़ा हाल पटवारी पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश दिनांक 26–6–2020 को अपास्त किया जाकर अपचारी पटवारी को भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दिया जाना ही पर्याप्त एवं न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपचारी श्री गजराज डांगी, तत्कालीन पटवारी गनाहेड़ा हाल पटवारी पुष्कर, तहसील पुष्कर जिला अजमेर की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश क्रमांक उखप/संस्था/2020/66 दिनांक 26–6–2020 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी श्री गजराज डांगी, तत्कालीन पटवारी गनाहेड़ा हाल पटवारी पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर को भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दी जाती है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 वीना प्रधान),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर